107

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन-निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/479 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-2-1999 - पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर - प्रकरण कमांक 47/1998-99 स्व. निगरानी

रामजियावन पुत्र हुब्बलाल कुम्हार
(मृत वारिस)
1- श्रीमती रिघुली पत्नि स्व.रामजियावन
2- गागुलाल पुत्र स्व.रामजियावन
3- असरखान पुत्र स्व.सईद खान
4- मो.आसिफ पुत्र श्री मो.साजिम
5- एम.रहमान पुत्र मो. साजिम
6- मो.आमिर पुत्र मो. साजिम
सभी ग्राम करूआरी तहसील सिंगरोली
जिला सिंगरोली मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश व्दारा कलेक्टर सिंगरोली ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 17/7/ , 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 47/1998-99 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-2-1999 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 56 अ-19(4)/ 1991-92 में पारित आदेश दिनांक 16-4-1992 से ग्राम करआरी तहसील सिंगरोली की भूमि सर्वे कमांक 5/1 रकबा 0-25 एंव सर्वे कमांक 6/4 रकबा 1-25 एकड़ (जो एन0सी0एल0 के लिये पूर्व से अधीग्रहीता थी) म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत मृतक रामजियावन के हित में व्यवस्थापन किया। नायव तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें प्रतीत होने से अपर कलेक्टर सिंगरोली ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 47/1998-99 पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर सिंगरोली ने आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 27-2-1999 पारित किया तथा नायव तहसीलदार सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 56 अ-19(4)/ 1991-92 में आदेश दिनांक 16-4-1992 से मृतक आवेदक के हित में किया गया भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर, सिंगरोली के आदेश 27-2-1999 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में यह निगरानी दिनांक 16-1-2018 को (लगभग 18 वर्ष 11 माह वाद) प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 54/1998-99 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-2-99 का अवलोकन किया गया।

4/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के कम में आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 27-2-1999 की जानकारी आवेदकगण नहीं हो सकी। जब पुराने कागजात घर पर देखे गये तब दिनांक 471-18 को कार्यालय में जाने पर दिनांक 4-1-18 को प्रकरण तलाश करवाया तब आदेश की जानकारी हुई, उसी दिन नकल का आवेदन लगाने पर नकल मिली, उसके वाद दस्तावेज तैयार कर निगरानी जानकारी के दिन से समयावधि में प्रस्तुत की गई है। निगरानी का निराकरण तकनीकी आधारों पर न किया जाकर गुणदोष पर करने का आग्रह किया गया।

म0प्र0शासन के पैनल लायर ने बताया म्याद अधिनियम की धारा-5 का आवेदन के तथ्य मिथ्या एंव बनावटी है, 18 वर्ष तक आवेदक ने स्वयं के भूमि व्यवस्थापन को निरस्त होने के वाद भी जानकारी न ली हो, संभव नहीं है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली के आदेश दिनांक 27-2-1999 के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश के पृष्ठ 4 पर इस प्रकार निष्कर्ष दिया गया है :-

- **स्टेटमेन्टल तहसीलदार व्दारा प्रमाणित 28-8-82 प्रमुख सचिव भोपाल का आदेश तथा शिकायत की जांच प्रति पेश किया जिनके अवलोकन से पाया गया कि ग्राम करूआरी की आराजी कमांक 5/1, 6/4 कमशः रकवा 0.25, 1-25 एकइ के अधिगृहण हेतु सूचना दिनांक 23-12-80 को जारी की गई थी तथा तहसीलदार व्दारा प्रमाणित स्टेटमेन्टल के व्दारा भूमि का अर्जन किया जाना प्रमाणित है। एक वार किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत भूमि बिना म0प्र0शासन के अनुमति के किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं ली जा सकती है। चूँकि यह भूमि एन.सी.एल. हेतु अधिग्रहीत की गई थी इसलिये इसके लिये भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने के वाद ही अन्य प्रयोजन हेतु ली जा सकती है। ***

स्पष्ट है कि व्यवस्थापन के पूर्व वाद विचारित भूमि भारत सरकार के उपक्रम के लिये आरक्षित रही है, फिर भी नायव तहसीलदार ने जानबूझकर आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से भारत सरकार के उपक्रम हेतु आरक्षित भूमि का व्यवस्थापन किया है एंव इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली ने आदेश दिनांक 27-2-1999 से भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में दिनांक 28-8-2017 को (लगभग 18 वर्ष 11 माह वाद) प्रस्तुत निगरानी अवधि वाह्य होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने एंव अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत होना पाते हुये अमान्य की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 47/1998-99 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-2-1999 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर